रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3976] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2018/आश्विन 12, 1940
No. 3976] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2018/ASVINA 12, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5155(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1395(अ), तारीख 28 मई 2014 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 163.400 कि.मी. से 323.857 कि.मी. (फलोदी-जैसलमेर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), 03.12.2010, सा.का.नि. 15(अ), 12.01.2011 और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016,सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, और सा.का.नि. 427 (अ), तारीख 07 मई, 2018, द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्तनियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 163.400 कि.मी. से 323.857 किमी (डिजाइन चैनेज) फलोदी-जैसलमेर सेक्शन तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के खण्ड के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 155.045 कि.मी. (0.282 कि.मी.की संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) जिसकी समकक्ष लम्बाई 2.82 कि.मी. है) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) के 60% की दर से और 5.051 कि.मी. लम्बाई (0.079 कि.मी. की संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 0.79 कि.मी. है) के चार लेन सेक्शन के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाज़ा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा- 15 के जैसलमेर जिले में रामदेवरा गांव के निकट 209.500 कि.मी.पर, डिजाइन चैनेज	71.895 (नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई संरचनाओं की 0.145 कि.मी. की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	5.051 (नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई संरचनाओं की 0.079 कि.मी. की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
रारा- 15 के जैसलमेर जिले में लाठी गांव के निकट 271.690 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज	83.15 (नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई संरचनाओं की 0.137 कि.मी. की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त**,** निम्नलिखित संरचनाओं**,** जिनकी लम्बाई **60** मीटर से अधिक है**,** के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक **10** से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए**,** निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर**,** निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
रारा- 15 के जैसलमेर जिले में रामदेवरा गांव के निकट 209.500 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज	0.145 किमी	1.45	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.079 किमी	0.79	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
रारा- 15 के जैसलमेर जिले में लाठी गांव के निकट 271.690 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज	0.137 किमी	1.37	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	कुल लम्बाई	**3.61**	

***60** मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

रारा-**15** के जैसलमेर जिले में रामदेवरा गांव के निकट **209.500** कि.मी.**,** पर टीपी-**1** डिजाइन चैनेज

क्रम संख्या	60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना			
	संरचना का अवस्थान (चैनेज कि.मी.)			लम्बाई (कि.मी.)
1	163.957	164.036	4 लेन फ्लाईओवर	0.079
2	220.492	220.564	2 लेन आरओबी	0.072
3	230.773	230.846	2 लेन आरओबी	0.073
योग				**0.224**

रारा-15 के जैसलमेर जिले में लाठी गांव के निकट 271.690 कि.मी.**,** पर टीपी-2 डिजाइन चैनेज

क्रम संख्या	60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना			
	संरचना का अवस्थान (चैनेज कि.मी.)			लम्बाई (मी.)
1	288.801	288.938	2 लेन आरओबी	0.137
योग				**0.137**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन**,** गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलो मीटर तक की दूरी में ही रहता हो**,** उसके लिए वर्ष **2018-19** के लिए मासिक पास की दर **255.00/-** रुपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम**, 2008** के उपबंधों के अनुसार उस में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा**,** अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट केअधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का **50%** होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-**1** में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलो मीटर शुल्क की आधार दर के आधारपर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम **5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **557.89** करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं । अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा । प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/610/सीओ/18-19/जीसी-फलोदी-जैसलमेर सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2018

S.O. 5155(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1395 (E) dated 28th May 2014 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 163.400 to km 323.857 (Phalodi-Jaisalmer Section) of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide GSR 950 (E) Dt 03.12.2010, GSR 15 (E) Dt. 12.01.2011 and GSR 756 (E) Dt. 12.10.2011, G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114(E) dated 2nd December, 2016, G.S.R 248 (E) dated 14th March, 2017 and G.S.R 427 (E) dated 7th May, 2018 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 155.045 km {excluding 0.282 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 2.82 km} (hereinafter referred to as "base rate") for use of the Two Lane with paved shoulders section and at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below for 5.051 km {excluding 0.079 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 0.79 km} length of four lane section for the use of Phalodi-Jaisalmer section from km 163.400 to km 323.857 (design chainages) of National Highway Number 15 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 209.500, design chainage near village Ramdevra in Jaisalmer district of NH-15	71.895 (excluding 0.145 km length of structures indicated in Para 2 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	5.051 (excluding 0.079 km length of structures indicated in Para 2 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 271.690, design chainage near village Lathi in Jaisalmer district of NH-15	83.15 (excluding 0.137 km length of structures indicated in Para 2 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 209.500, design chainage near village Ramdevra in Jaisalmer district of NH-15	0.145 km	1.45	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.079 Km.	0.79	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 271.690, design chainage near village Lathi in Jaisalmer district of NH-15	0.137 km	1.37	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	**3.61**	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

TP-1 at km 209.500, design chainage near village Ramdevra in Jaisalmer district of NH-15

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km.)			Length (Km.)
1	163.957	164.036	4 Lane Flyover	0.079
2	220.492	220.564	2- Lane ROB	0.072
3	230.773	230.846	2- Lane ROB	0.073
Total				**0.224**

TP-2 at km 271.690, design chainage near village Lathi in Jaisalmer district of NH-15

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km.)			Length (Km.)
1	288.801	288.938	2- Lane ROB	0.137
Total				**0.137**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 557.89 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/610/CO/18-19/GC Phalodi-Jaisalmer Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.06 15:59:56 +05'30'